81 Annexure-1

TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY

(Established under Govt. of U.P. Act No. 30, 2008)

Delhi Road, (146 Kms from Delhi Road on N.H. 24), Moradabad (U.P.) India

Tel.: +91-2360222, 2360777 • Fax : +91-591- 2360077, 2487444, 2360444

Email : university@tmu.ac.in; Website : www.tmu.ac.in

To,

Date: 08.06.2016

The Regional Director
Northern Regional Committee
National Council for Teacher Education
4th Floor Jeevan Nidhi-II, LIC Building,
Bhawani Ingh Marg, Ambedkar Circle,
Jaipur – 302005 (Rajasthan)

Sub: **Submission of Application for Grant of permission/ recognition for B. El. Ed. (4 years programme) with 50 students (One basic unit) per year at Teerthanker Aadinath College of Education, Moradabad (A Campus College of Teerthanker Mahaveer University, Moradabad) from session 2017-18.**

Reference: APPLICATION NO – NRCAPP201616020

Dear Sir,

In the reference of NCTE Public Notice, Dated- 09-03-2016, we are submitting here with an application for recognition of B. El. Ed. programme of one basic unit (50 students annual intake) from the session 2017-18.

Application in four copies along with supporting documents as desired by your good office are attached herewith.

Kindly acknowledge its receipt & oblige.

Thanking you with regards

Yours faithfully

(Dr. P. N. Arora)
Joint Registrar

APPLICATION NO:NRCAPP201616020
APPLICATION ID:8641

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

Under Section 14 of the NCTE Act, 1993 For Starting New Courses/Increase In Intake

ONLINE APPLICATION FOR GRANT OF RECOGNITION OF TEACHER EDUCATION PROGRAMMES

Applied For:

Bachelor of Elementary Education [B.El.Ed.]	: Basic
Date of Submission	: 31/05/2016
Payment Mode	: Net Banking

Submitted By:

Name of Organisation:	TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY
Address:	BAGAR PUR,DELHI ROAD, MORADABAD,MORADABAD, Moradabad,Uttar Pradesh
Telephone:	05912360000
Email ID:	university@tmu.ac.in

Particulars of Parent Organization

Name of Organisation	: TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY
Type of Organisation	: Private University
Registration Number	: L.S.P./L.W./N.P.-91/2008-10
Date of Registration	: 04/09/2008

Address

Village	: BAGAR PUR
Street/Road	: DELHI ROAD
Taluka/Mandal	: MORADABAD
Town/City	: MORADABAD
District	: Moradabad
State	: Uttar Pradesh
Pin Code	: 244001
Website	: tmu.ac.in
Permanent Account Number	: AAAAT6939Q

Particulars of Authorized Contact Person

Name	: Dr. P.N. Arora
Designation	: Joint Registrar
Mobile No	: 9997024252

Telephone No : 05912360000
Fax No : 2360444
Email ID : university@tmu.ac.in

PARTICULARS OF APPLICANT INSTITUTE

Name of Institute : Teerthanker Aadinath College of Education
Type of Institute : University
Type of Management : Private
Whether Minority Institute? : Yes
Whether Women Institute? : No

Institute Address:

Village : 265 Min. Hasampur gopal
Street/Road : pakwara
Taluka/Mandal : Moradabad
Town/City : 265 Min. Hasampur gopal
District : Moradabad
State : Uttar Pradesh
Pin Code : 244001
Telephone No : 05912954451
Mobile No : 9568162444
Institute Email ID : university@tmu.ac.in
Institute Website : http://tacoe.in

DETAILS OF EXISTING TEACHER EDUCATION PROGRAMS/COURSES

S.No.	Name of Existing Programs	Affiliated By	Approved Units	Approved Intake (Number of Students)	File Code/ Number	Date of Recognition / Permission Granted
1	Diploma in Elementary Education [D.El.Ed.]	State Council of Educational Research and Training	2	100	NRCAPP-12203	02/05/2016

DETAILS OF TEACHER EDUCATION PROGRAMME (S) APPLIED FOR (Including Additional Units)

Name of Teacher Education Programme	Basic or Additional unit?	Number of Units Required	Intake (Number of Students)
Bachelor of Elementary Education [B.El.Ed.]	Basic	1	50

DETAILS OF AFFILIATING AGENCY FOR THE PROGRAMME(S) APPLIED FOR

Name of Program	Bachelor of Elementary Education [B.El.Ed.]
Name of Affiliating Body	State Board

Date of Issue of NOC	27/05/2016
Details of Issuing Authority	Registrar
Communication Address	
Village	Hasampur Gopal
Street/Road	265 Min.
Taluka/Mandal	Moradabad
Town/City	Pakwara
District	Moradabad
State	Uttar Pradesh
Pin Code	244001
Telephone No	05912476840
Fax No	2360000
Email ID	university@tmu.ac.in

DETAILS OF THE PENDING APPLICATION FOR TEACHER EDUCATION PROGRAM(S)

Name of Teacher Education Programme (Applied For)	File/Application Number	Year (In Which Applied)	Current Application Status
Bachelor of Education & Master of Education [B.Ed. M.Ed.] - 3 Year Integrated	NRCAPP-12215	2015	New Recognition

DETAILS OF LAND AVAILABLE

Name of the Title holder : Teerthanker Aadinath College of Education
Type of Title : Ownership
Total Land Area(in Sq. Mts.) : 3240.0
Location Type of the Land : Village
Village : Hasampur Gopal
Town/City : Moradabad
District : Moradabad
State : Uttar Pradesh
Pin Code : 244001
Survey Number (s) : 265 Min.
Is the land encumbrance? : YES

DETAILS ON LAND USE CERTIFICATE (LUC) FOR EDUCATIONAL PURPOSE

Date of Issue of LUC : 20/05/2009
LUC Issuing Authority : Sub District Magistrate

GEOGRAPHIC LOCATION DETAILS OF THE INSTITUTE

Latitude : 28.49552
Longitude : 78.39368

DETAILS OF BUILDING PLAN

Building Plan Approved By : Panchayat President
Date of approval : 03/08/2010
Plot Area (in sq mtr) : 3240.0

Location : Village
Survey Number (s) : 265 Min.

Floor Wise Built-Up Area (in Sq Mtr) Planned

Ground Floor : 1379.0
First Floor : 1378.0
Second Floor : 1378.0
Total Builtup Area : 4135.0
Whether Construction of the Permanent Building completed : Yes

Floor Wise Built-Up Area (in Sq Mtr) Constructed:

Ground Floor : 1379.0
First Floor : 1378.0
Second Floor : 1378.0
Total Builtup Area : 4135.0
Area of the multipurpose hall(In Sq. Feet) : 2599.0

PROGRAM WISE AVAILABILITY OF FACILITIES

Name of Program : Bachelor of Elementary Education [B.El.Ed.]

Infrastructure Facilites

Sr No	Type of Facilities Available
1	Class rooms (Four-Five Class Room of 500 Sq.Ft for every 50 intake)
2	Multipurpose hall (2000 Sq. Ft. with dias and seating capacity of 200)
3	Library-cum-resource Centre
4	ICT Resource Centre
5	Curriculum Resource Centre/Laboratory
6	Principal,s Office
7	Staff Room
8	Administrative/Central Office
9	Male Student Common Room
10	Female Student Common Room
11	Common Room for Women Teachers
12	Common Room for Men Teachers
13	Canteen
14	Toilet for Men-Student
15	Toilet for Men-Teachers
16	Toilet for Women-Student
17	Toilet for Women-Teachers
18	Toilet for Staff
19	Toilet for Person With Disability [PWD]
20	Safeguard against Fire Hazards
21	Space for Workshops
22	Conference Room
23	Record Room
24	Reception Lounge
25	Cooperative Stores
26	Dispensary
27	Sports/Recreation Center
28	Science Laboratory

29	Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes
30	Space and Arrangement for Parking of Vehicles
31	Provision for Safe Drinking Water Facilities
32	Arrangement for Regular Cleaning of Campus, Water and Toilet Facilities
33	Arrangement for Repair and Replacement of Furnitures and Other Equipments

Instructional Facilites

Sr No	Type of Facilities Available
1	Library-cum-Resource Centre
2	Curriculum Resource Centre
3	Science Laboratory
4	Space for Workshops

Details of Application Processing Fee

Registration ID : 8641
Application No: : NRCAPP201616020
Payment Date: : 2016-05-31T15:21:52+05:30
Payment Mode: : Net Banking
Amount: : 150000.0

In case of Online Payment

Application Transaction ID : 1085258023820901
Payment Gateway Transaction ID : 5803404234

Disclaimer

1. The applicant is responsible for all the details (correct or incorrect) submitted in the online application form. The onus of producing the relevant documents pertaining to the information submitted lies with the Applicant Society/Institute.

2. No corrections shall be entertained once application is submitted.

3. The submission of online application for recognition of course shall not confer any right on the Society/Institute for Grant of Recognition.

4. This application will be further processed only if the printouts along with the required true copies of the credential/supporting documents uploaded under various sections are submitted within 15 days to the concern Regional Office of NCTE.

5. Not Applicable may be recorded, wherever required.

Declaration

I declare that I am the authorised signatory for this application and authorised by our Society to submit this application. I have gone through the Regulations and am fully aware of all the conditions to be fulfilled for Grant of Recognition. I shall be fully responsible for submission of any wrong information and shall abide by the decision taken by the Regional Committee. If at any stage during the processing of this application it is found that the information furnished in this application is wrong, NCTE shall be free to initiate action against the Society as per Law of the Land.

Date
Place

Signature of Authorised Signatory

Office Seal

General Instruction

1. Applications for grant of recognition or permission for additional intake or new programmes shall be submitted online and the copies of the printouts of the applications so submitted online shall be sent in 4 (four) copies to the concerned Regional Committee along with following documents.

a. Printout of Downloaded Online Application Form

b. An affidavit in prescribed format on Non-Judicial Stamp Paper of Rs.100/-, attested by Notary Public/Oath Commissioner.

c. Undertaking of Authorised Signatory in Official Letter Head

d. Registration Certificate of the Parent Organisation/Society/Trust

e. Registration Certificate of the Institute applying for grant of recognition

f. Minority Status Certificate (MSC) issued by competent authority

g. No-Objection Certificate (NOC) from affiliating body

h. Copies of land documents, relating to ownership/lease (lease is allowed from Govt. authority only) duly certified by the office of the Registrar/Sub-registrar or any other competent authority where land was registered. (Attested, self-attested or notarized copy of the land document shall not be treated as the certified copy).

i. Registered Land Title Deed

j. Land Ownership Certificate Issued by Tehsildar/SDM/DM

k. Building Plan approved by the Competent Authority

l. Building Completion Certificate issued by the Competent Authority

n. Land Use Certificate (LUC) issued by competent authority

o. Accreditation certificate from competent authority, wherever applicable

p. Fire Safety Certificate, if available

2. The applicant shall give running serial numbers on all the pages in increasing order after preparing the complete response document/application along with all the annexures/ enclosures. These pages numbers(s) have to be mentioned in the Annexure.

3. All the pages/documents of the response document/application to be duly signed manually by the competent person authorized to sign.

4. NCTE is not responsible for incorrect details submitted in the application. The onus of producing the relevant documents pertaining to the information submitted lies with the Applicant Society/Trust/Company.

5. No corrections shall be entertained once application is submitted.

6. The submission of online application for recognition of the programme shall not confer any right on the applicant for grant of recognition.

Annexure

Sr No	Name of Document	Submitted [Yes/No]	Page No.
1	Covering Letter		
2	Printout of Downloaded Online Application Form		
3	Affidavit attested by Notary Public/Oath Commissioner.	✓	
4	Undertaking of Authorised Signatory in Official Letter Head	✓	
5	Registration Certificate of the Parent Organisation/Society/Trust	✓	
6	Registration Certificate of the Institute		
7	Minority Status Certificate (MSC)	✓	
8	No-Objection Certificate (NOC)	✓	
9	Registered Land Title Deed	✓	
10	Land Ownership Certificate	✓	
11	Building Plan	✓	
12	Building Completion Certificate	✓	
13	Non-Encumbrance Certificate	✓	
14	Land Use Certificate (LUC)	✓	
15	Accreditation Certificate(s)		
16	Fire Safety Certificate	✓	

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AC 699055

Affidavit

I, **Dr. P. N. Arora** son of **Shri Sita Ram Arora** aged 61 years, resident of **Teerthanker Mahaveer University, Village – Bagarpur, Post – Pakbara, Moradabad** in the capacity of **Joint Ragistrar** of **Teerthanker Mahaveer University, Moradabad & authorised person of management (Teerthanker Mahaveer Institute of Management and Teachnology Society, Jain Lane, Shivpuri, Moradabad**) for **Teerthanker Aadinath College of Education, Plot No.- 265 min., Village– Hashampur Gopal, Post – Pakbara, Moradabad** undertake that:-

1) Teerthanker Mahaveer University, Moradabad has submitted an application for one basic unit (50 students per year) for B. El. Ed. from session 2017-18 for its Campus College Teerthanker Aadinath College of Education, Plot No. 265 min., Village- Hashampur Gopal, Post- Pakwara, SEZ Road, Moradabad- 244001 (U.P.).

2) In the online application for grant of recognition, the details of affiliating agency wrongly entered (due typographical error) as State Board, but the institution is the part of Teerthanker Mahaveer University so you are requested please read the name of **affiliating body as Teerthanker Mahaveer University , Moradabad.**

I hereby verify that the statement made by me in para (1) to para (2) are true and correct to the best of my knowledge and belief.

(Dr. P. N. Arora)

27/5/16
Dr. P. N. Arora

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 24 MAY 2016 CV 79068

AFFIDAVIT

I, **Dr. P. N. Arora** Son of **Shri Sita Ram Arora** and **Joint Ragistrar** of **Teerthanker Mahaveer University**, Vill- Bagarpur, Post- Pakwara, Delhi Road, Dist- Moradabad-244001 (U.P.) aged about **61** years, resident of Teerthanker Mahaveer University, Delhi Road, Moradabad am the authorized signatory of of the application made the Regional Committee of the National Conducting a course in Teacher Education titled **B.El.Ed.** with intake of one basic unit of 50 students per year at **Teerthanker Aadinath College of Education, Plot No. 265 Min., Vill-Hasampur Gopal, Pakwara, Moradabad-244001 (U.P.)**.

2. That the Teerthanker Aadinath College of Education, Plot No. 265 Min., Vill- Hasampur Gopal, Pakwara, Moradabad college is in possession of land as per the following description: -

    2.1 Total Area (in Sq. Mtr.) 3240 Sq. Mtr.

    2.2 Address:

    Plot No: 265 Min.
    Village: Hasampur Gopal
    Post Office: Plot No. 265 Min., Pakwara,
    Teh. & Distt. : Moradabad-244001
    State: Uttar Pradesh

Bounded by

North: SBL College
South: SEZ Road
East: Agriculture Land
West: Agriculture Land

Registered in the office of: **Sub Registrar of Properties, Moradabad on 01.10.2011.**

3. That the land is on ownership basis of Teerthanker Aadinath College of Education, Moradabad.
4. The the land is free from all encumbrances.
5. That the land is exclusively meant for running the education institution and the permission of the competent Authority to this effect has been obtained vide letter No. 18/09 dated 20.05.2009 and a copy there of is enclosed.
6. That the said premises shall not be used for running any non-educational activity, other than the teacher education programme.
7. That the copy of the affidavit shall be displayed on the website of the Institution for general public.
8. I do hereby swear that my declaration under Para's (1) to (7) are true and correct and that it conceals nothing and that no part of this is false. In case the contents of affidavit are found to be incorrect or false, I shall be liable for action under the relevant provision of the Indian penal code and other relevant laws.

(Dr. P. N. Arora)
Joint Ragistrar
Teerthanker Mahaveer University,
Bagarpur, Delhi Road, Distt. Moradabad
Tel: 09997024252
E-mail address: university@tmu.ac.in
Website: tacoe.in

Place:Moradabad
Date: 28.05.2016

27/5/16
Dr. P.N. Arora

27/8/16

TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY
(Established under Govt. of U.P. Act No. 30, 2008)
Delhi Road, (146 Kms from Delhi on N.H. 24), Moradabad (U.P.) India
Tel.: +91-2360222, 2360777 • Fax : +91-591- 2360077, 2487444, 2360444
Email : university@tmu.ac.in; Website : www.tmu.ac.in

UNDERTAKING

I, **Dr. P. N. Arora** son of **Shri Sita Ram Arora** aged 61 years, resident of **Teerthanker Mahaveer University, Village – Bagarpur, Post – Pakbara, Moradabad** and **Joint Ragistrar** of **Teerthanker Mahaveer University, Moradabad &** the authorized signatory of **Teerthanker Aadinath College of Education, Plot No.- 265 min., Village– Hashampur Gopal, Post – Pakbara, Road – Delhi Road, Distt.- Moradabad-244001 (U.P.),** declare that I am the authorized signatory to submit this application. I have gone through the NCTE Act, 1993 & NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2014 and fully aware of all the conditions to be fulfilled for grant of recognition. I shall be fully responsible for submission of any wrong information and shall abide by the decision taken by the regional committee. If at any stage during the processing of this application, it is found that the information furnished in the application is wrong, action may be initiated against me/the society, as per law.

Dated: 27-05-2016

(Dr. P. N. Arora)

क्रम-संख्या—399

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 5 सितम्बर, 2008

भाद्रपद 14, 1930 शक सम्वत्

नोटरी पब्लिक
Regd. No. 716
NOTARY PUBLIC

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1738/79-वि–1-08(क)24-2008

लखनऊ, 5 सितम्बर, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 पर दिनांक 04 सितम्बर, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 2008]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, सोसाइटी, मुरादाबाद द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश में एक जैन अल्पसंख्यक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये।

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम

परिभाषायें

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "विद्या परिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड, योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) "कुलाधिपति" "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(ङ) "निदेशक / प्राचार्य" का तात्पर्य संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन के विभाग से है जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) "कार्य परिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कार्य परिषद से है;

(झ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ञ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी / छात्रों के निवास से है;

(ट) "संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है;

(ठ) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ड) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ढ) "सोसाइटी" का तात्पर्य सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत तीर्थंकर महावीर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, मुरादाबाद से है;

(ण) "परिनियमों और अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(त) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है;

(थ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्यों, सहयुक्त आचार्यों उपाचार्यों, सहायक आचार्यों प्राध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा / अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाए;

(द) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(ध) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी द्वारा स्थापित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से है;

3–(1) मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में सोसाइटी द्वारा तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय की स्थापना

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

4–प्रायोजक संस्था, सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा:– विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

(क) विश्वविद्यालय के लिए न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में न्यूनतम 5 करोड़ रुपये की लागत से कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में उपस्करों की स्थापना;

(घ) कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिये परिनियम और अध्यादेश बनाना;

(च) ऐसी अन्य शर्तें जिनकी विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय।

5–(1) राज्य सरकार सोसाइटी द्वारा धारा (4) में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी करने के प्रस्ताव एवं संबंधित अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त ही प्राधिकार पत्र जारी करेगी। विश्वविद्यालय का आरम्भ

(2) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन प्रारम्भ करने के लिये प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही सोसाइटी विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करेगा।

6–विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा:– विश्वविद्यालय का उद्देश्य

(क) शिक्षा में नवीनता की प्रोन्नति करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(ख) शिक्षा के विभिन्न शाखाओं में अध्ययन।

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन।

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव और नैतिकता का अभिव्यक्तीकरण।

(ङ) जैन अल्पसंख्यकों को उनके समग्र विकास के लिये मुख्य धारा से जोड़ना, साथ ही साथ भारत के जैन समुदाय के विकास के लिये सभी आधुनिक और श्रेष्ठ

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7--विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी:--

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना।

(ख) विज्ञान, प्रोद्योगिकी, चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, प्रबन्धन, विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा इतिहास, संस्कृत, दर्शन, कला इत्यादि पाठ्यक्रमों का संस्थागत केन्द्रों या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यमों से, जैसा कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद द्वारा समय-समय पर सुनिश्चित किया जाए, शिक्षा प्रदान एवं प्रचार करना।

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर एमेरिटस की उपाधि से सम्मानित करना।

(घ) विश्वविद्यालय अपने नियमों के अधीन परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर व्यक्तियों को डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं में उपाधियों को प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारणों से इन डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं की उपाधियों को वापस लेना।

(ङ) परिनियमों द्वारा विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना।

(च) ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को शिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी हैं।

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सहयुक्त आचार्य, उपाचार्य पद, सहआचार्य, प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना।

(ज) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना।

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना।

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना।

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिए विद्यालयों संस्थाओं और ऐसे केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो।

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना।

(ड) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों/आवासों की स्थापना, तथा उनका पर्यवेक्षण करना, अनुरक्षण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना।

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।

(ण) परिनियमों के अनुसार केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय घोषित करना।

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है।

नोटरी पब्लिक S.C. ... NOTARY PUBLIC

(ध) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना।

(द) छात्राओं एवं जैन समुदाय के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे।

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और इसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए।

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना।

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का जिसके अन्तर्गत न्यास और बन्दोबस्ती सम्पत्तियां भी हैं, अर्जन, धारण, प्रबंध और निपटारा करना।

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए सोसाइटी के अनुमोदन से विश्वविद्यालय सम्पत्ति की प्रतिभूति, उसके धन पर उधार लेना या बन्धक रखना।

(ब) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने के लिए संविदा या अन्य किसी आधार पर विजिटिंग प्रोफेसर, ऐमेरिटस प्रोफेसर, परामर्शकों, विद्वानों, एवं कलाकारों आदि को नियुक्त करना।

(भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों जो विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से अनुमोदित हों।

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उपचारिका परिषद इत्यादि के दिशा निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विशिष्ट परिषदों के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9–विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारी वृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने कि लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक बनने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से अधिरोपित करें धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें।

परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक समुदाय को विभिन्न पदों पर नियुक्तियों तथा विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश में आरक्षण के लिये समुचित उपबन्ध बनाने से नहीं रोकेगी जो 50 प्रतिशत से अनधिक हो।

कुलाध्यक्ष

10–(1) कुलाध्यक्ष की नियुक्ति सोसाइटी द्वारा स्वयं की जायेगी जैसा कि परिनियमों में विहित है।

(2) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय की शिक्षा, अनुशासन, शालीनता और समुचित कार्यप्रणाली के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय या उसके द्वारा अनुरक्षित किन्हीं संस्थानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पोलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को कुलाधिपति द्वारा निर्दिष्ट विवादित मामलों में कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

11–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति

(ख) कुलपति

(ग) प्रति–कुलपति

(घ) निदेशक/प्राचार्य या संस्था का प्रधान

(ङ) कुलसचिव

(च) कोषाध्यक्ष

(छ) संकायों के संकायाध्यक्ष

(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष

(झ) परीक्षा नियंत्रक

(ञ) कुलानुशासक

(ट) वित्त अधिकारी; और

(ठ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाए।

कुलाधिपति

12–(1) कुलाधिपति के पद पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सोसायटी की प्रबन्ध समिति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

(2) कुलाधिपति सोसाइटी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(3) कुलाधिपति, सोसाइटी को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(4) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कुलाधिपति अपने पद ग्रहण के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा एवं पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा।

परन्तु कुलाधिपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर लें।

(5) कुलाधिपति अपने पद के फलस्वरूप विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अन्तरिम कार्य परिषद् का गठन करेगा।

(6) कुलाधिपति यदि उपस्थित है, तो डिग्रियाँ प्रदत्त करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस अधिकारी को अवगत करायेगा।

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह ऐसे दिनांक से, जिस पर ऐसे कार्यवाही के आधार पर विनिश्चय उसे संसूचित किया गया है, एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरुद्ध अपील करे और इस पर कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है। लेकिन अपील किसी भी प्रकार आदेश के अनुपालन से विरक्त नहीं करती जब

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित है।

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जो विहित किया जाए। प्रतिकुलपति

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेंगे।

(4) प्रतिकुलपति ऐसी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जैसा समिति द्वारा अवधारित किया जाय।

15–निदेशक या संस्था के प्रमुख की नियुक्ति उसी रीति से होगी तथा वह उन्हीं शक्तियों और कृत्यों का संपादन करेगा जो विहित किया जाए। निदेशक/प्राचार्य या संस्था के प्रमुख

16–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय। कुलसचिव

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुल सचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा।

17–(1) कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए। कोषाध्यक्ष

(2) कोषाध्यक्ष वार्षिक बजट, वार्षिक अंकेक्षण, निधियों के आंवटन इत्यादि सहित समस्त वित्तीय मामलों में कुलपति की सहायता करेगा।

18–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए। संकायों के संकायाध्यक्ष

19–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा, जैसा विहित किया जाए। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

20–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित की जाए। अन्य अधिकारी

21–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे। विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(क) कोर्ट

(ख) कार्य परिषद्

(ग) विद्या परिषद्

(घ) वित्त समिति

(ङ) नियोजन बोर्ड

(च) संकाय बोर्ड

(छ) प्रवेश समिति

(ज) परीक्षा समिति

(झ) अनुशासन समिति

(ञ) शोध समिति

(ट) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी घोषित किए

कोर्ट

22–(1) कोर्ट के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा विहित किया जाए।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुर्निरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अभ्युपाय का सुझाव देना।

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर विचार करना और संकल्प पारित करना और ऐसे लेखाओं पर सम्परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना।

(ग) किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में कुलाध्यक्ष को परामर्श देना जो उसे परामर्श के लिए निर्दिष्ट किया जाए।

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जो विहित किया जाए।

कार्यपरिषद

23–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किए जाएं।

विद्या परिषद्

24–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति वित्तीय विश्वविद्यालय की वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाएँ।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य संबंधित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और इसकी अन्य शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

संकाय और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27–संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा, समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाए, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएँ।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कुलाधिपति के अनुमोदन से परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, जैसा कि :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य।

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो।

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां।

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां।

(ङ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना या दायित्व ग्रहण करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्त।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवानिवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियां।

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को निर्धारित करने वाला सिद्धान्त।

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया।

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् में अपील करने की प्रक्रिया।

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना।

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टयों का वापस लेना।

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना।

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना।

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनका समाप्त किया जाना।

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(त) अन्य सभी विषय जो विहित किए जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनवायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति विश्वविद्यालय को अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सन्दर्भ में परिनियमों में उपबन्ध करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् ऐसे किसी निर्देश को उसकी प्राप्ति के नब्बे (90) दिनों के भीतर लागू करने में असमर्थ रहे तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए कार्य परिषद् द्वारा संसूचित कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् परिनियमों को, कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से, उपयुक्त रूप में बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29-इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम/अध्यादेश कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे। जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन।

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम का निर्धारित किया जाना।

(ग) अनुदेश और परीक्षा का माध्यम।

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक प्रविष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किए जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किए जाने वाले माध्यम।

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य शुल्क।

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषकों को प्रदान करने की शर्तें।

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य है।

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की परिस्थितियां।

(झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें यदि कोई हो और उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना।

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां।

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना।

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति।

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाए, के सृजन, संरचना और कृत्य।

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक।

(ण) अध्यापकों और अन्य निकाय शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों जिनकी सेवा परिनियमों द्वारा विहित न हो की सेवा शर्तें।

विनियम

30-विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, कार्य परिषद् के अनुमोदन के विषयानुसार विनियम बना सकते हैं जो वि॰ अधिनियम के अनुरूप हो तथा अपने व्यवसाय के आधार हेतु संविधि तथा अध्यादेश तथा उस हेतु समिति यदि कोई हो, जिसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में अधिनियम में प्रावधानित न हो, अध्यादेश तथा संविधि, जैसा कि विहित किया जाए।

31–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाएगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी। वार्षिक रिपोर्ट

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

32–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, कराई जाएगी। वार्षिक लेखा

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के पर्यवेक्षणों सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा किए गए पर्यवेक्षणों को कोर्ट और कार्य परिषद् के संज्ञान में लाया जाएगा और कार्य परिषद् द्वारा पुनिरीक्षण किए जाने के पश्चात् पर्यवेक्षण यदि कोई हों, कुलाधिपति को प्रस्तुत किए जाएंगे।

33–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा या काम पर लगाया जाएगा। कर्मचारियों की सेवा शर्तें

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी के लिए अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद् के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत् किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से कुलाधिपति द्वारा किया जाएगा।

(5) कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किए गए मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

34–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेशों या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, लिखित रूप में अपने द्वारा ऐसे संकल्प की प्रति या ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक से दस दिन के भीतर कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है। अपील करने का अधिकार

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अन्तिम होगा।

35–विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं ऐसी पेंशन या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसी वह उचित समझे। कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन

प्राधिकरण निकायों निकायों के गठन के बारे में विवाद

36–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उक्त विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

37–जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो वहाँ ऐसी समितियाँ अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे गठित होंगी।

रिक्तियों का भरा जाना

38–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुयी सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए है नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था, भरा जाएगा ऐसी रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति ऐसे शेष पदावधि के लिए ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य होगा जिसके लिए यह नियुक्त या सहयोजित किया गया है।

कार्यवाही की विधिमान्यता

39–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति

40–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के अधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

41–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

42–(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात् :–

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाए ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) सोसाइटी द्वारा किए गए सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किए गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जाएगा।

विकास निधि

44–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात् :–

(क) विकास शुल्क जिसे छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) सोसाइटी द्वारा किए गए सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किए गए सभी अंशदान ;

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय-समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा।

निधि का अनुरक्षण

45–धारा 42, 43 एवं 44 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

वित्तीय शर्तें

46–विश्वविद्यालय एक स्ववित्तपोषित संस्था होगी तथा राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायक अनुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता पर आधारित नहीं होगी।

शुल्क

47–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।

सूचनाओं और अभिलेखों को मंगाने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

48–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जो राज्य सरकार द्वारा मांगी जाए।

(2) राज्य सरकार यदि यह समझती है कि यदि इस अधिनियम या परिनियम या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह विश्वविद्यालय के धारा 52 के अधीन ऐसे निदेश जारी कर सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

49–(1) विश्वविद्यालय राज्य सरकार को कम से कम छह मास की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले विश्वविद्यालय के प्रशासन की

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

50–(1) धारा 49 (4) के अधीन उसे प्रबन्धन करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जाएगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय के दायित्वों को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों को निस्तारण करके किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

51–(1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है, विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसी समय के भीतर, जो उचित समझे किन्तु जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझें।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्हीं निदेशों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेगी।

(4) जहां राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के संबंध में किसी जांच के प्रयोजनों के लिए कोर्ट को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह अधिसूचना द्वारा यथास्थिति कोर्ट को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे।

(5) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद को और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की माँग करना ;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(6) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसमें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है तो वह विश्वविद्यालय [illegible] अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (5) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के द्वारा पारित होने पर लागू की जाएगी।

नीति विषयक मामलों में राज्य सरकार का निर्देश देने का अधिकार

52–राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीति विषयक निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

53–(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 1973, जहाँ तक संस्थाओं का प्रबन्ध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहें वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे;

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

उद्देश्य एवं कारण

उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, सोसाइटी, मुरादाबाद जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय मुरादाबाद के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है, द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के नाम से एक जैन अल्पसंख्यक शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित करके उसको निगमित किया जाए जिससे कि शिक्षा का अभिनवीकरण, पाठ्यक्रमों की समुचित संरचना, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विद्यार्थियों और अध्यापकों को आवश्यक वातावरण और सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

तदनुसार तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

Photo Copy Attested

आज्ञा से,

सै० मजहर अब्बास आब्दी,

संख्या 1229
13-6-2011

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र

नवीकरण संख्या- MBD-275 -2011

फाइल संख्या MBD-9300

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि- तीर्थंकर महावीर इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलोजी दिल्ली रोड पिलपुरी मुरादाबाद मुरादाबाद ---- को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 148/2001-2002

दिनांक- 28-05-2001 ---- को दिनांक- 28-05-2011 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1000/रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक- 13-06- -2011

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

Photo Copy Attested
S.C. Mishra Notary Moradabad
Regd.

AMENDED MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF
TEERTHANKER MAHAVEER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, MORADABAD

Name of the Society	:	Teerthanker Mahaveer Institute of Management & Technology, Moradabad
Registered Address	:	Jain Lane, Shivpuri, Moradabad U.P.
Area of Operation of Society	:	Whole of Uttar Pradesh

Objects of the Society -

(a) To impart technical education, inclusive of education in Information Technology, Computer Education and E-Commerce and Education in Business management and the subjects related thereto.
(b) To impart Dental Education to the students.
(c) To establish Dental College in Minority Status for the upliftment and betterment of language and religious-based Minorities.
(d) To develop harmonious personalities of students.
(e) To build good moral character of students.
(f) To ensure a proper library for education purpose.
(g) To do all other acts and discharge all other duties which may be found necessary from time to time for development and administration of the Institute.
(h) To impart Medical Education to the students.
(i) To establish a Medical College as per the norms of Govt. of India at Moradabad.
(j) To establish Private University as per the norms of Govt. of U.P. & UGC.
(k) Society will work on "Not for Profit" basis

Name, address, posts and occupations of office bearers and members of the Committee of Management entrusted with the functions of Society.

Name	Father / Husband	Post	Occupation	Address	Signature
Suresh Chand Jain	Late Sh. Prem Prakash Jain	Chairman	Business	A-520, Lajpat Nagar, Moradabad	[signature]
Suraj Chand Jain	Sh. Faqir Chand Jain	Vice-Chairman	Retd. Govt. Officer	69, Avas Vikas, Moradabad	[signature]
Virendra Kumar Jain	Sh. Late Sugan Lal Jain	Secretary	Business	Manpur Street, Moradabad	[signature]
Smt. Indira Jain	Late. Dr. S.B. Lal Jain	Joint Secretary	Agriculturist	12-A, Soni Bhawan, Deputy Ganj, Moradabad	[signature]
Ajit Kumar Jain	Late Sh. Kamta Prasad Jain	Treasurer	Business	B-57, Gandhi Nagar, Moradabad	[signature]
Smt. Laxmi Jain	Sh. Devendra Kumar Jain	Member	House Wife	Jain Mandir Street Rampur	Laxmi Jain
Manish Jain	Sh. Suresh Jain	Member	Business	A-520, Lajpat Nagar, Moradabad	[signature]

We, the above named signatories, who are the members of the General Body / Committee of Management, agree with the above Memorandum of Association and the Constitution. We, accordingly, want to get the Society, named herein above registered under the provisions of Societies Registration Act, 1860.

सत्य प्रतिलिपि

Date: 05.04.2011
Place: Moradabad

Photo Copy Attested
S.C. Mishra Notary Moradabad
Regd. No. 0716

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

<u>AMENDED</u> <u>CONSTITUTION OF MANAGEMENT</u>

OF

TEERTHANKER MAHAVEER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, MORADABAD

(An Institution Founded by Teerthanker Mahaveer Educational and Charitable Trust, Moradabad, Jain Lane, Shivpuri, Moradabad, U.P.)

This Constitution shall be called the Constitution of Teerthanker Mahaveer Institute of Management and Technology, Moradabad.

1. Name of the Institution : Teerthanker Mahaveer Institute of Management and Technology, Moradabad.

2(a). Address : Jain Lane, Shivpuri, Moradabad, (U.P.)

(b). Area of Operation of Society : Whole of Uttar Pradesh

3. <u>Definitions :</u>

(a) <u>Act</u> : 'Act' means U. P. State Universities Act, 1973 and/or any other Act for the time being in force, which may be applicable to the Institute.

(b) <u>Chairman</u> : 'Chairman' means the Managing Trustee, whether male or female, who shall act as Chairman of the General Body. The female may be called as 'Chairperson', in which event, the word 'Chairman' may whether altered or not, will mean and include 'Chairperson'.

(c) <u>Committee</u> : 'Committee' means the Committee of Management (for short 'COM') responsible for the Management of the affairs of the Institute.

(d) <u>Constitution</u> : 'Constitution' means Constitution of Management of the Institute.

(e) <u>General Body</u> : 'General Body' means the Body comprising of Life members, Ordinary members and Honorary members, other than the Committee of Management or any other committee constituted for any specific purpose.

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटी व चिट्स

Cont... 2

(f) **Institute** : 'Institute' means Teerthanker Mahaveer Institute of Management and Technology, Moradabad or any other Institute which may be established by the Trust.

(g) **Membership Committee** : 'Membership Committee' means the Committee referred to in Clause 6 of the Constitution.

(h) **Property** : 'Property' means all property, whether movable or immovable, which may be used for the establishment and administration of the Institute, whether belonging to or vested in it as part or of the Trust property or independent of it.

(i) **Trust** : 'Trust' means Teerthanker Mahaveer Educational and Charitable Trust, Moradabad.

(j) **Trust Deed** : 'Trust Deed' means the Trust Deed dated 4th April 2001.

(k) **University** : 'University' means the university or the Body to which the institute shall be affiliated.

4. **Aims And Objects Of The Institute** :

(a) To impart technical education, inclusive of education in Information Technology, computer education and E-commerce and education in business management and the subjects related thereto;

(b) To develop harmonious personalities of students;

(c) To build good moral character of students;

(d) To ensure a proper library for education – purpose;

(e) To do all other acts and discharge all other duties which may be found necessary from time to time for development and administration of the Institute.

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद

5. **Composition of General Body** :

(1) The General Body shall consist of the following members :-

(a) **Life Members** :

Every Trustee paying atleast a sum of Rs. 2,51,000/- shall be member for life.

The minimum sum may be enhanced by and at the discretion of the Trust

(b) Ordinary Members :

Every person who has subscribed membership fee of Rs. 15,000/- for term of 'COM' and who has been enrolled as an ordinary member in accordance with this Constitution. This sum may be enhanced by and at the discretion of the General Body.

(c) Honorary Members :

Any eminent educationist or technocrat or a prominent social worker may be taken as an honorary member for a maximum period of 'COM' at one time. Such member may be required to pay honorarium Rs. 1000/- to the Institute.

(2) The Chairman and Secretary of 'COM' shall be the Chairman and Secretary of General Body, respectively. The Secretary, in consultation with the Chairman, fix a date of meeting(s) of General Body and directed by the Chairman, shall convene the same.

Process of Enrolment & The Membership Committee :

(a) No person shall have a right to be enrolled as a member. A person other than the Life member referred to in Clause 5(a) and Honorary Member referred to in Clause 5(c), desirous of becoming a member of General Body, shall submit an application recommended by atleast one life member to the Chairman alongwith a bank draft or pay order of the sum required to be paid in connection with the membership concerned and an affidavit sworn before a First Class Magistrate. His/her application and the draft/pay order shall be put at a meeting of the Membership Committee comprising of Trustees who shall have the absolute right to allow or reject the application. When allowed, the intimation thereof shall be given to the applicant. The absence of intimation would not imply that the application has been allowed.

(b) The decision of the Membership Committee shall be final and not be called in question before the 'COM' or General Body or in any Court

सत्य प्रतिलिपि

सहायक-रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चि

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

Cont... 4

Composition of Committee of Management (COM) :

The 'COM' shall comprise of the following members :-

(A) Office Bearers :

(i) Chairman

(ii) Vice- Chairman

(iii) Secretary

(iv) Joint Secretary and

(v) Treasurer.

(B) At least two persons who are not office-bearers.

(C) Ex-Officio members as per provisions of the Act and/or the statutes and/or regulations made thereunder especially those mentioned in Statute no. 11.05 of the First Statutes Of M. J. P. Rohilkhand University, Bareilly

8. Election & Term of the Committee of Management :

(a) Persons forming 'COM' shall be elected from amongst and by the members of the General Body.

(b) The term of the 'COM' shall be atleast three years.

9. Filling Up Of Vacancies :

The vacancy in the 'COM', occasioned by the death or resignation of any person or for any other reason, shall be filled up by General Body by 2/3rd majority

10. Powers And Functions Of The General Body :

The General Body shall be the supreme body of the Institute. It shall be an appellate authority against the decision(s) of the 'COM'. It shall have the power to vary or set aside the decision taken by the 'COM'. The power shall be exercised by the General Body at a Meeting held for the purpose of appeal and taken by majority of votes.

Cont.... 5

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

The General Body, at its discretion, may stay the decision of the 'COM'. The decision of the General Body shall be final.

11. Casting Vote :

In the event of equality in votes Cast at any meeting, the Chairman shall have the right, in addition to casting his/her vote as a member, to cast one more vote as a 'Casting Vote'.

12. Quorum :

(a) The quorum of the meeting of General Body shall comprise more than fifty percent of its total members.

(b) The quorum of the 'COM' shall comprise of above 50% members of the 'COM' in addition to one of the ex-officio member referred to in Clause 7(C) of the Constitution

13. Postponement and Adjournment of Meetings :

The Chairman shall have the right to postpone and adjourn the meeting for any cogent reason.

The meeting adjourned for want of quorum shall have quorum comprising of Members present at the meeting.

14. Notice And Agenda Of The Meetings :

(A)(i) The notice signed by the Chairman or the person- directed by him, referring the agenda of the meeting of the General Body, shall be issued in writing at least ten days before the date of the meeting scheduled to be held. In case of a special meeting, three days notice shall be sufficient.

(ii)The General Body shall meet at least once a year.

(B)(i) The notice signed by the Chairman of 'COM' or the person directed by Chairman, referring the agenda, shall be issued in writing at least three days before the date of the meeting scheduled to be held.

(ii)The 'COM' shall remain authorised to meet as many times as it may deem fit, but ordinarily, it shall meet atleast once in a quarter of the year.

Cont... 6

The period of the year shall commence from the date when the 'COM' comes into being.

15 **Functions of the Committee of Management** :

The rights and duties of the 'COM' shall be as follows :-

(a) to manage the Institute having full control over the property of the Institute;

(b) to draw and approve the budget;

(c) to appoint, confirm, suspend and dispense with the services of and take disciplinary action(s) against the employee(s) of the Institute and also to promote and take a decision with reference to crossing the efficiency bar by an employee;

(d) to make entries in the character roll of the employee(s) and, where the Principal of the Institute, by whatever name be called, is the authority to make such entries, to take a decision with respect to the propriety and/or validity of the entries;

(e) to grant and curtail leaves of the employees;

(f) to receive the grants given by the Govt. or other Bodies and spend them.

(g) to authorise any of its members to initiate or defend the legal proceedings and the person so authorised shall be entitled to appoint or dismiss any lawyer for this purpose.

16. **Powers And Duties Of The Office Bearers of the 'COM'** :

(A) **Chairman** :

(i) He/she shall preside over all kinds of meetings. However, he/she shall have the authority to nominate any other person from amongst the Office bearers or members of the 'COM' to exercise this power.

(ii) For the purpose of holding meetings he/she shall fix the dates and draw the agenda.

(iii) He/she shall have the power to change the dates of the meetings

Cont... 7

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज तथा चिट्स

(iv) He/she shall have the power to represent the 'COM' before any Authority.

(v) He/she, alongwith Treasurer, shall operate accounts. He shall disburse salary of the staff as well as make payments to any person in connection with the affairs of the Institute.

(vi) He/she shall have the authority to enter into correspondence with anyone.

(vii) He/she, on behalf of 'COM', shall ensure that the terms and conditions of the affiliation of the Institute are fulfilled.

(viii) He/she shall exercise all the powers of the 'COM' in any emergent case and he may get it ratified by the COM.

(ix) He/she shall exercise all the powers and discharge all other duties which have not been expressly conferred upon any other office bearer under this Constitution, that is to say, he/she shall be the Supervisor of the 'COM' and shall discharge its functions in emergency subject to approval by 'COM'.

(B) <u>Vice Chairman</u> :

In the absence of Chairman, the Vice Chairman shall exercise such or any of the powers of the Chairman, which the Chairman has delegated to him.

(C) <u>Secretary</u> :

(i) Except those which shall be required to be maintained and kept by the Principal (by whatever name he may be called) of the Institute or his staff, he shall keep and maintain all the record as per directions of the Chairman or of the 'COM', as the case may be.

(ii) He shall, as per directions of the Chairman, look after the legal proceedings and sign the documents for this purpose. When directed by the Chairman, he shall enter into correspondence with any authority and he shall issue receipts of the sums received by/for the Institute, inclusive of donations and Govt. grants.

Cont... 8

S. C. Mishra
NOTARY PUBLIC
Reg. No. 6716

(iii) He shall, in consultation with the Chairman, summon/convene the meeting(s) and issue notice(s) for this purpose.

(iv) He shall record the minutes of the meeting(s).

(v) He shall, unless otherwise directed by the Chairman or the 'COM', grant leaves to the employees of the Institute in accordance with law.

(vi) He shall perform all other acts and discharge all other duties but not those which may curtail the functions of the Chairman, as directed by the 'COM'.

(vii) He shall operate the account(s) alongwith the Chairman as mentioned in clause 17(b).

(D) <u>Assistant Secretary</u> :

In absence of the Secretary, he shall, unless otherwise directed by the Chairman or the 'COM', discharge all the functions of the Secretary.

(E) <u>Treasurer</u> :

He shall assist the Secretary in keeping and maintaining accounts. In addition to it, as one of the operators of accounts, he shall sign, as aforesaid, cheques and other instruments which may be used for withdrawl of sum(s) for the Institute.

17. <u>Bank(s) / Books / Records / Audit</u> :

(a) The funds of the Institute shall be deposited in any of the Nationalised, Chartered or Co-operative Banks as per decision of the 'COM'.

(b) The account(s) shall be jointly operated by the Chairman and Secretary or jointly by the Chairman and the Treasurer.

(c) The records and the accounts shall be maintained and get audited by a Chartered Accountant as per Law.

Cont... 9

बराय प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद

(d) The Society / Committee of Management / institute may borrow loan / receive advance /over draft or money from the Banks / Financial institutions/ Private financial organisations as and when required by means of pledging / mortgage, as security the immovable property of the society / institution, Subject to the condition that the Chairman of the COM shall sign the documents with Secretary or Chairman with Treasurer, For and on behalf of Committee of Management etc.

18. **Petty Cash** :
In order to meet minor expenses, the 'COM' may place, at the disposal of the Chairman, such sum as it may deem fit.

19. **Cessation of Membership** :
A person holding membership of General Body of 'COM" or Membership Committee shall cease to be a member if :-
(a) he has resigned from the General Body or the 'COM' or 'Membership Committee'; or
(b) he has not paid the required sum, which in the opinion of the 'COM', is due towards him; or
(c) he has been adjudged undischarged insolvent, or he has been directed to execute a bond U/S 109 or 110 Cr. P. C.; or
(d) he incurs any disqualification U/S 16 – A of Societies Registration Act, or
(e) he, in the opinion of the 'COM', has acted to the detriment of the interest of the Institute, or

Cont.... 10

Veena Jain Richa Jain

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

(f) any Court of competent jurisdiction or authority has held that he is a person not desirable to hold the membership; or

(g) he has become a man of unsound mind – the unsoundness being incurable.

20. Settlement Of Disputes :

(i) The internal dispute, if any, inclusive of interpretation of these presents, shall be settled by the 'COM' and its decision subject to appeal to General Body, shall be final.

(ii) The 'COM' may sue and defend, in its name and at its expenses, legal proceedings.

21. Change in the Constitution :

Only the General Body, referred to herein above, by 3/5th majority shall have the authority to make alterations and other amendments in the Constitution, inclusive of those relating to the powers and duties of any aforesaid office bearer(s), but no amendment shall be made curtailing the powers of the Chairman unless he gives his consent in writing to this effect.

22. Procedure for Dissolution and Disposal of the Property :

(a)(i) If the objects of the Institute cannot be achieved or these are frustrated, the Institute may be dissolved at a decision taken at a joint meeting of the Trust and the General Body. The meeting shall be called on the recommendation of the 'COM' and Provisions of Sections 13 & 14 of the Societies Registration Act shall apply.

(ii) The decision shall be taken by not less than two upon three members present at the meeting.

(b) On dissolution, the property of the Institute shall be disposed of in the following manner :-

(i) If the society is to be dissolved or wound up for the reason that the objects of the society can not be achieved or for any reason deemed fit by the society, then the assets remaining as on the date of dissolution of or winding up, shall be transfer to another Society having the similar objects of charitable nature.

Richa Jain

Cont... 11

(ii) The decision with respect to the disposal of the property shall be taken at a meeting referred to in sub clause (a)(i) of clause 22.

Dated – 11/04/2001

Place – Moradabad

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद

Photo Copy

Attested

S.C. Mishra Notary Moradabad

Regd.No.-2716

63066

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग
पटेल चौक, नई दिल्ली - ११०००१
1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg
Patel Chowk, New Delhi - 110001
www.ncmei.gov.in

Dated.........................

CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT BY THE ORDER DATED 17TH DAY OF JULY 2012 PASSED BY THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS, NEW DELHI IN CASE NO. 531 OF 2012 (TEERTHANKER AADINATH COLLEGE OF EDUCATION, PLOT NO. 265 MIN., VILL. HASHAMPUR GOPAL, SEZ ROAD, POST PAKWARA, DIST. MORADABAD, UTTAR PRADESH, AND ORS. VS. DEPUTY DIRECTOR, MINORITIES WELFARE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH), THE FOLLOWING COLLEGES RUN BY TEERTHANKER MAHAVEER INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY HAVE BEEN DECLARED AS MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS COVERED UNDER ARTICLE 30(1) OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Sl. No.	File No.	Name of the Colleges
1	F. No. 531 of 2012	Teerthanker Aadinath College of Education, Plot No. 265 Min., Vill. Hashampur Gopal, SEZ Road, Post Pakwara, Dist. Moradabad, Uttar Pradesh
2	F. No. 532 of 2012	Teerthanker Mahaveer University College of Education, Plot No. 286 A&B, Vill. Bagarpur, Post Pakwara, Dist. Moradabad, Uttar Pradesh.
3	F. No. 533 of 2012	Teerthanker Shantinath College of Education, Plot No. 094 Min., Vill. Bakenia, SEZ Road, Post Pakwara, Dist. Moradabad, Uttar Pradesh.
4	F. No. 534 of 2012	Teerthanker Neminath Girls College of Education, Plot No. 100, Vill. Bakenia, SEZ Road, Post Pakwara, Dist. Moradabad, Uttar Pradesh

National Commission for Minority Educational Institutions * Delhi *

63066

भारत सरकार

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS

प्रथम तल, जीवन तारा भवन, ५, संसद मार्ग
पटेल चौक, नई दिल्ली - ११०००१
1st Floor, Jeevan Tara Building, 5, Sansad Marg
Patel Chowk, New Delhi - 110001
www.ncmei.gov.in

Dated.........................

5	F No 535 of 2012	Teerthanker Kunthath College of Education, Plot No. 101 Min., Vill. Bakenia, SEZ Road, Post Pakwara, Dist. Moradabad, Uttar Pradesh.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 17TH DAY OF JULY, 2012.

(JUSTICE M.S.A. SIDDIQUI)
CHAIRMAN

National Commission For Minority Educational Institutions ★ Delhi ★

NOTARY PUBLIC

Photo Copy
Attested
S.C. Mishra Notary Moradabad
Regd No.

TEERTHANKER MAHAVEER UNIVERSITY

(Established under Govt. of U.P. Act No. 30, 2008)
Delhi Road, (146 Kms from Delhi Road on N.H. 24), Moradabad (U.P.) India
Tel.: +91-2360222, 2360777 • Fax : +91-591- 2360077, 2487444, 2360444
Email : university@tmu.ac.in; Website : www.tmu.ac.in

Ref. No. : TMU/JR/2016-17/92 *Dated: 27/05/2016*

No Objection Certificate

This University has 'No Objection' to consider **Teerthanker Aadinath College of Education**, a Campus College of Teerthanker Mahaveer University, Moradabad for **One Basic Unit of B. El. Ed. with 50 students intake per year from the academic session 2017-18**. The programme recognized by Northern Region Committee of the National Council for Teacher Education (NCTE), subject to fulfillment of the conditions for *being the Campus College of this University*.

The University will ensure adoption of the program-curriculum prescribed by the NCTE, conduct of examinations & award of Degrees. The University will also participate in the faculty recruitment process & certify the approved faculty list.

The University will also monitor the functioning of the institution to ensure its adherence to the Norms & Standards prescribed by NCTE & observance of our conditions of Campus College.

(Dr. P. N. Arora)
Jt. Registrar

(भाग 1)
(प्रस्तुत कर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रक्खा जाने वाला)

क्रम संख्या........................

लेख्य या प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक........41........

प्रस्तुत कर्ता या प्रार्थी का नाम ....25/1/08........

.... उत्तमचन्द जैन

प्रतिफल की धनराशि..

1– रजिस्ट्रीकरण शुल्क........रु. 5600.00........

2– प्रतिलिपि करण शुल्क........5610.00........

3– निरीक्षण या तलाश शुल्क........................

4– मुख्तारनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क........5000+20........

5– कमीशनशुल्क..

6– विविध..

यात्रिक भत्ता..

6– तक का योग........5020........

वसूल करने का दिनांक........25/1/08........

दिनांक, जब लेख्य प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण-पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा........

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर........................

Hari Shri Copy Received

Mittal

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 25 OCT 2008

708272

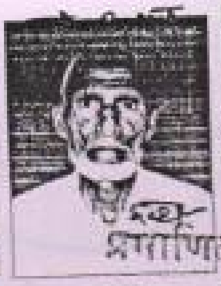

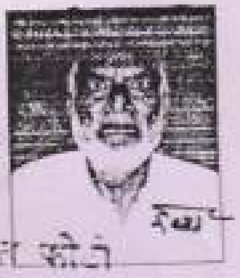

प्रमाणित फोटो

बयनामा

विक्रीत रकबा 0.80 एकड़

दर 7,00,000/–रुपये प्रति एकड़

ग्राम – हाशमपुर गोपाल, ब्लाक – मुरादाबाद,

बयनामा 5,60,000/– मालियत रू0 5,61,000/–

स्टाम्प रू0 39,300/–

मैं कि जरीफ अहमद, लतीफ अहमद व रशीद अहमद पुत्रगण अजीज अहमद निवासीगण ग्राम हाशमपुर गोपाल परगना व जिला मुरादाबाद– विक्रेता प्रथम पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

E 114729

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23 OCT 2008

23 OCT 2008

NOTARY MORADABAD H. K. SAXENA U.P. GOVT.

-2-

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी रकबई 0.80 एकड = 0.324 हैक्टेयर मिनजुमला खाता नम्बर 94 खसरा नम्बर 265मि0 रकबई 1.420 हैक्टेयर लगानी सालाना 59.50 रुपये स्थित बाके मौजा हाशमपुर गोपाल तह0 व जिला मुरादाबाद महदूदा जैल जिस पर मुकिरान बहैसियत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 114806

NOTARY ... ADABAD H. K. SAXENA U.P. GOVT

भूमिधरी मालिक व काबिज व दखील चले आते हैं। जो इस वक्त तक हर तरह के बय रहन, मुआयदाबय वगैरा से बरी और पाक साफ है लिहाजा अपनी खुशी व रजामन्दी से शय मुबईया को बिल एवज मुबलिग रु0 **5,60,000/- रूपये (पांच लाख साठ हजार रूपये)** जिसके आधे **2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार)** रूपये होते है मे बदस्त **तीर्थकर**

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 710166

-4-

महावीर इन्स्टीटियूट् ऑफ मैनेजमैन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, देहली रोड, मुरादाबाद द्वारा उपाध्यक्ष श्री सूरज चन्द जैन पुत्र स्वर्गीय फकीर चन्द जैन निवासी 69, आवास विकास कालोनी, शहर व जिला मुरादाबाद के बय कतई और फरोख्त कामिल करके कुल जरें समन उसका तमाम व कमाल हस्ब तफसील जैल वसूल पाकर शय मुबईया अपने कब्जे व दखल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 710164

23 OCT 2008

M. K. SAXENA

मालिकाना से निकाल कर कब्जे मुश्तरी में दे दी हमने चुनाचे कब्जा बदल अमल में आ गया। अब मुश्तरी को हक हासिल है कि वह कागजात सरकारी में व इखराज नाम मुकिरान अपना नाम दर्ज करा ले मुकिरान या वारिसान मुकिरान को कुछ उज्र नहीं होगा अगर बादावेदारी किसी शरीक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 710165

-6-

या सहीम या कर्ज ख्वाह के शय मुबईया का कुल या जुज कब्जे मुश्तरी से निकल जावे तो मुकिरान वापसी जरे समन के मय हरजे व खर्चे अदालती के देनदार व जिम्मेदार अपनी जात व जायदाद से मुश्तरी को होंगे, कुछ उज्र नहीं होगा।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEE

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 70

23 OCT 2008

-7-

तफसील वसूलयावी जरें समन – अंकन रू0 **5,60,000/–** **(पांच लाख साठ हजार रूपये मात्र)** कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा नकद वसूल पाये। आराजी मजकूरा वाला में कोई पेड़, भवन व कूप नहीं है। आराजी के 200 मीटर की त्रिज्या में कृषि हो रही है एवं कोई विशेष स्थान नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20 OCT 2008

W 56112

विक्रेतागण अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। मुकिरान व क्रेता के फोटो को गवाहान की पहचान पर श्री दूल्हा खां, कातिब मुरादाबाद ने प्रमाणित किये हैं। विक्रीत आराजी की कीमत जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा जारी मूल्य सूची दिनांक 04.08.2008 की संशोधित दर उपखण्ड "ग" तृतीय भाग, पृष्ठ संख्या–11, क्रमांक–97 के अनुसार 7,00,000/– रूपये प्रति एकड़

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20 0[illegible] 2008 W 5611

के हिसाब से **5,61,000/-** रूपये होती है। जिस पर नियमानुसार 39,300/- रूपये का स्टाम्प अदा किया गया है। आराजी वक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नहीं है। आराजी कृषि भूमि है जिस पर कृषि हो रही है। विक्रेतागण बकदर अपने भाग के मालिक हैं और अपने भाग में से 0.80 एकड़ आराजी विक्रय कर रहे हैं। आराजी बजानिब पूरब विक्रीत है। लिहाजा यह बयनामा कतई लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम

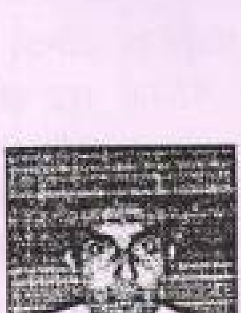

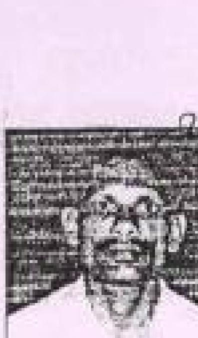

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 20 OCT 2008 W 56111

आवे।

अ0 अ0

गो0 गो0

यह बयनामा आज दिनाँक 25.10.08 को बइकरार मुकिरान बमुकाम मुरादाबाद बाकलावत श्री दूल्हा खां, कातिब, सुमित अग्रवाल ने टाइप किया है।

उ०

नक्शा आबादी काश्त हिस्सेदारी वाके ग्राम हसनपुर गोपाल
तह० जिला मुरादाबाद बाबत गाटा सं० 265 में रकबे 1.420 हैं
में से 0.8?0 एकड़

इकरारी - जहीर अहमद आदि

मोअल्ला तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
एंड टेक्नोलॉजी ट्रस्ट मु०

द०

नोट हस्तान्तरित जमीन में
कोई निर्माण नहीं है
खाली आबादी/काश्त

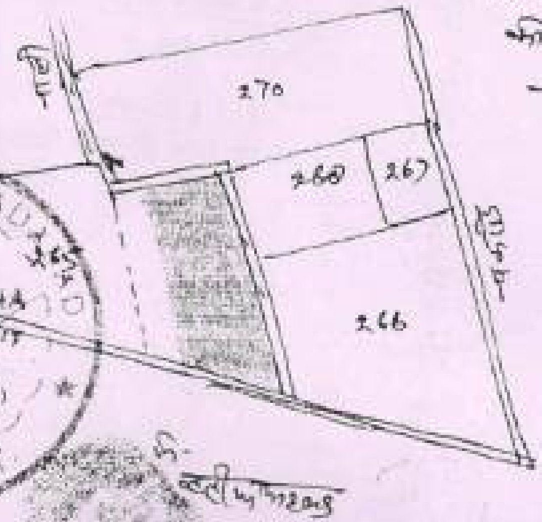

H. K. SAXENA
MORADABAD
GOVT

Photo Stat Copy Attested
Advocate Notary
MORADABAD

Mittal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 175308

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400
कोषागार 1400
- 1 OCT 2011

अर्न्तगत क्षेत्राधिकार उप निबन्धक महोदय द्वितीय मुरादाबाद

उपहार विलेख (Gift Deed)

मालियती 64,80,000/– रूपये

स्टाम्प 4,53,600/– रूपये

हम कि **तीर्थंकर महावीर इन्सटीटियूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलोजी,** देहली रोड, मुरादाबाद द्वारा उपाध्यक्ष श्री सूरजचन्द जैन पुत्र स्व0 फकीरचन्द जैन निवासी 69–आवास विकास कालोनी, शहर व जिला मुरादाबाद जिन्हें बोर्ड की मीटिंग के प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 30–09–2011 के द्वारा अधिकृत किया गया है प्रथम पक्ष (उपहार कर्ता) व **तीर्थंकर आदिनाथ कालेज ऑफ एजूकेशन,** हाशमपुर गोपाल, तहसील व जिला मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धक श्री मनीष जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन निवासी लाजपत नगर, शहर व जिला मुरादाबाद (उपहार–ग्रहीता) द्वितीय पक्ष हैं।

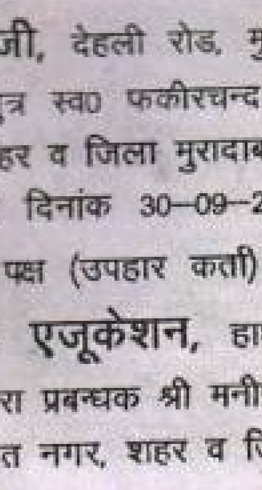

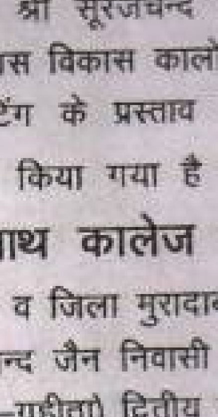

आज दिनांक - 1 OCT 2011 को जमा किया

स्टाम्प मूल्यांक 4500 अंक मूल्यांक 450000

श्री [illegible]

को कोषागार मुरादाबाद से निर्गत किया।

मुख्य रोकड़िया

कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 175309

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 OCT 2011

(2)

जो कि एक किता आराजी उफतादा रकबई 0.80 एकड़ बराबर 3240 वर्ग मीटर मिनजुमला खसरा नम्बर 265मि0 रकबई 1.420है वाकय ग्राम हाशमपुर गोपाल, तहसील व जिला मुरादाबाद का प्रथम पक्ष जरिए खरीद बयनामा इकरारी जरीफ अहमद आदि लिखित दिनांक 25-10-2008 जिसकी रजि0 कार्यालय

- 1 OCT 2011

आज दिनांक........................को क्रय किया

स्टाम्प धनराशि [illegible] ...कुल धनराशि [illegible]

श्री [illegible]

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 175310

- 1 OCT 2011

(3)

उप निबन्धक महोदय मुरादाबाद में बही नं0 एक जिल्द नं0 5897 पृष्ठ 191/212 नम्बर 6066 दिनांक 25-10-2008 ई0 हुई है, बादहू दाखिल खारिज बहैसियत भूमिघर मालिकाना मालिक व काबिज और दखील चला आता है जिसमें प्रथम पक्ष के अतिरिक्त और कोई भी

- 1 OCT 2011

आज दिनांक.................................को एक लिया

स्टाम्प क्रमांक............................मूल्य धनराशि..........................

श्री..

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकड़िया

कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 175311

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 OCT 2011

(4)

अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार से शरीक व हिस्सेदार नहीं है जिसको हस्तान्तरित करने के अधिकार मुझ प्रथम पक्ष को हासिल है, जो इस समय तक रहन, बय, जमानत, किफालत, कुर्की, नीलाम, हिबा, मुआयदा दीगरी मौखिक अथवा लिखित व हर मुतालबात सरकारी व गैर सरकारी गर्ज कि हर नुक्स कानूनी व शास्त्री से बइल्म

21 OCT 2011

आज दिनांक.............................को इस दिन

स्टाम्प धनराशि 8000 कुल धनराशि 45000

श्री [illegible]

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य कोषाधिकारी

कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 175312

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 OCT 2011

(5)

जाति प्रथम पक्ष कतई पाक व साफ और बरी है, चूंकि **तीर्थंकर आदिनाथ कालेज ऑफ एजूकेशन,** हाशमपुर गोपाल, तहसील व जिला मुरादाबाद एक शिक्षण संस्था है और उपहार कर्ता **तीर्थंकर महावीर इन्सटीटियूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलोजी,** देहली रोड, मुरादाबाद द्वारा संचालित है इसलिये

आज दिनांक -1 OCT 2011 को एक दि..

स्टाम्प धनराशि 25000 कुल धनराशि 450000

श्री [illegible]

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकड़िया

कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 175313

- 1 OCT 2011

(6)

उपहारकर्ता अपनी उपरोक्त भूमि शिक्षण कार्य हेतु उपहार स्वरूप देने का इच्छुक है अतः मेरी ख्वाहिश है कि मैं आराजी मजकूरा बाला को **तीर्थंकर आदिनाथ कालेज ऑफ एजूकेशन,** हाशमपुर गोपाल, तहसील व जिला मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धक श्री मनीष जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन निवासी लाजपत नगर, शहर व

- 1 OCT 2011

आज दिनांक..............................को एक लिखा

स्टाम्प धनराशि 25000 ...कुल धनराशि 50000

श्री [illegible]

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकड़िया

कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 175314

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 OCT 2011

(7)

जिला मुरादाबाद (उपहार–ग्रहीता) द्वितीय पक्ष को शिक्षण कार्य हेतु उपहार में दे दूँ अतः मैं उपहारकर्ता अपनी खुशी व आजाद मर्जी से बिला बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के बहालत सेहत नफस व सबाते अकल खूब सोच समझकर

1 OCT 2011

आज दिनांक…………………………………को एक बिना स्टाम्प इकरारी [illegible] …………मूल्य धनराशि 45000 श्री [illegible] को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 175315

- 1 OCT 2011

(8)

अपनी आराजी मजकूरा बाला को बहक **तीर्थंकर आदिनाथ कालेज ऑफ एजूकेशन,** हाशमपुर गोपाल, तहसील व जिला मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धक श्री मनीष जैन पुत्र श्री सुरेश चन्द जैन निवासी लाजपत नगर, शहर व जिला मुरादाबाद

- 1 OCT 2011

आज दिनांक .... को एक लिप्त
स्टाम्प धनराशि [illegible] मूल धनराशि [illegible]
श्री [illegible]
को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 175316

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 OCT 2011

(9)

(उपहार–ग्रहीता) द्वितीय पक्ष के हक में उपहार स्वरूप देता हूँ और उसकी कीमत माफ करता हूँ और उसका कब्जा व दखल मालिकाना अपना हटाकर उपहार–ग्रहीता का कराता हूँ और

आज दिनांक - 1 OCT 2011 को एक विक्रय

स्टाम्प धनराशि 25000 कुल धनराशि 150000

श्री [illegible]

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकड़िया

कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 175317

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 OCT 2011

(10)

उपहार-ग्रहीता ने भी उक्त उपहार बखुशी कबूल व मंजूर करके उस पर अपना कब्जा व दखल मालिकाना कर लिया है। अब या आइन्दा मेरा या मेरे दीगर वारिस वगैरा का उक्त

आज दिनांक - 1 OCT 2011 को एक लिस्त

स्टाम्प धनराशि 4500 कुल धनराशि 45000

श्री [illegible]

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य [illegible]
कोषागार [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 175318

उत्तर प्रदेश
कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400
कोषागार 1400
M B D

- 1 OCT 2011

(11)

आराजी या उसकी माफ शुदा कीमत से कोई हक व ताल्लुक बाकी नहीं रहा और ना आइन्दा होगा। तमामी हकूक मालिकाना उक्त आराजी की बाबत बजाए मेरे आज से

1 OCT 2011

आज दिनांक.......................को एक लिखत
स्टाम्प धनराशि 2500 ......कुल धनराशि 5,1000
श्री [illegible] को
को कोषागार मुरादाबाद में विक्रय किया।

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 175319

- 1 OCT 2011

(12)

उपहार–ग्रहीता को हासिल हो गये। उसको हक हासिल है कि वह उक्त आराजी से बहैसियत मालिक जिस तरह से चाहे फायदा उठावे। मुझे या मेरे किसी वारिस को

आज दिनांक 1 OCT 2011 को इस कि

स्टाम्प धनराशि 15000 मूल धनराशि 450000

श्री [illegible] वरिष्ठ [illegible] 2011 [illegible]

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य कोषाधिकारी

कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 175320

- 1 OCT 2011

(13)

खिलाफ इसके कुछ उज्र न होगा और मैं उपहारकर्ता व मेरे वारिसान तमाम कानूनी व शास्त्री जिम्मेदारियों के

आज दिनांक 1 OCT 2011 को कुल मिला
स्टाम्प धनराशि [illegible] कुल धनराशि [illegible]
श्री [illegible]
को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 175321

- 1 OCT 2011

(14)

पाबन्द रहेंगे। अब उपहार – ग्रहीता को अधिकार है कि वह उपहार में ली गयी सम्पत्ति में बइखराज नाम उपहारकर्ता अपना नाम बहैसियत स्वामी दर्ज करा लें, प्रथम पक्ष अथवा

1 OCT 2011

आज दिनांक............................को मूल्य लिया

स्टाम्प धनराशि 15000 मूल्य धनराशि 45000

श्री [illegible]

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकड़िया

कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

B 175322

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 OCT 2011

(15)

वारिसान प्रथम पक्ष को कुछ उज्र न होगा। फोटो का सत्यापन गवाहान की पहचान पर श्री दूल्हा खाँ कातिब ने किया है। लिहाजा यह **उपहार–विलेख** लिख दिया कि सनद हो और समय पर काम आवे।

आज दिनांक - 1 OCT 2011 को एक दिन

स्टाम्प धनराशि 25000 कुल धनराशि 4500000

श्री [illegible]

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकड़िया

कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 175323

- 1 OCT 2011

(16)

नोट– जिस पर किसी प्रकार का कोई निमार्ण नहीं है। जो किसी मुख्य मार्ग पर स्थित नहीं है बल्कि सड़क से लगभग 500 मीटर की

आज दिनांक - 1 OCT 2011 को स्टाम्प [illegible]
स्टाम्प धनराशि 20... कुल धनराशि [illegible]
श्री [illegible]
को कोषागार मुरादाबाद से निर्गत किया।

मुकेश रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 175324

उत्तर प्रदेश
कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी मुरादाबाद
मुख्य कोषाधिकारी
मुरादाबाद 1400
कोषागार 1400

- 1 OCT 2018

(17)

दूरी पर स्थित है। प्रथम पक्ष ने अपना सब और कुल भाग उपहार स्वरूप दिया है। उपहार में दी गयी आराजी 3240–00 वर्ग मीटर की बाजारी कीमत बमुजिब प्रचलित मूल्यांकन सूची परिशिष्ट–3

आज दिनांक 1 OCT 2011 को एक लिया

स्टाम्प धनराशि [illegible] कुल धनराशि [illegible]

श्री [illegible]

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 175325

-1 OCT 2011

(18)

चतुर्थ भाग उपखण्ड–ग पृष्ठ 38 क्रमांक 17 अंकन 2,000/– रूपये

आज दिनांक - 1 OCT 2011 को एक स्टाम्प

स्टाम्प धनराशि 25000 कुल धनराशि 450000

श्री [illegible]

को कोषागार मुरादाबाद से विक्रय किया।

मुख्य रोकड़िया
कोषागार मुरादाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 022009

23 SEP 2011

(19)

प्रति वर्ग मीटर से अंकन **64,80,000/–** रूपये होती है जिस पर शासनादेश 2756/11 दिनांक 30–06–2008 के अनुसार 7 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

70

1000

3600

1-10-11

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री मो0 इरफान
पुत्र श्री मो0 शफीक
पेशा
निवासी अस्ालतपुरा मुरा0
व श्री मो0 याकूब
पुत्र श्री सखावत हुसैन
पेशा
निवासी जाहिदपुर सीकमपुर मुरा0
ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

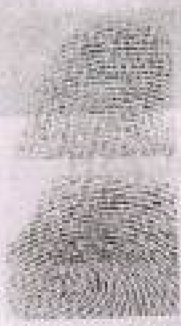

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार सक्सैना
उप निबन्धक (द्वितीय)
मुरादाबाद
1/10/2011

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 022336

27 SEP 20

(20)

पूरब — नाली।

[illegible]

[illegible] 7-2 [illegible]

[illegible]

[illegible] मूल्य 1000

[illegible]

हिरेन्द्र कुमार [illegible]

[illegible]

[illegible] 3600

[illegible]

1-10-11

दान पत्र

प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
6,480,000.00/	6,480,000.00	10,000.00	20	10,020.00	800

तीर्थंकर आदिनाथ कॉ0ऑफ एजु0 प्रबन्धक मनीष जैन

पुत्र श्री सुरेश चन्द्र जैन

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी लाजपत नगर शहर व जि0 मुरा0

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 1/10/2011 समय 6:49PM

को निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार सक्सैना
उप निबन्धक (द्वितीय)
मुरादाबाद
1/10/2011

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

दान दाता

तीर्थंकर महा0इन्स्टी0ऑफ मैने0एंड टैक्नो0 उप0
सूरज चन्द्र जैन
पुत्र श्री स्व0 फकीर चन्द्र जैन
पेशा व्यापार
निवासी 69 आवास विकास कालोनी शहर व जि0 मुरा0

दान गृहीता

तीर्थंकर आदिनाथ कॉ0ऑफ एजु0 प्रबन्धक मनीष जैन
पुत्र श्री सुरेश चन्द्र जैन
पेशा व्यापार
निवासी लाजपत नगर शहर व जि0 मुरा0

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH U 022335

27 SEP 2011

(21)

पश्चिम – खेत जरीफ आदि।

71

1000

3608

9-10-11 दान दाता

Registration No.: 7559 Year : 2,011 Book No. : 1

0101 तीर्थंकर महा0इन्स्टी0ऑफ मैने0एंड टैक्नो0 द्वा0 सुरज चन्द्र जी

स्व0 फकीर चन्द्र जैन

69 आवास विकास कालोनी शहर व जि0 मुरा0

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 623604

- 1 OCT 2011

(22)

उत्तर – नाली।

क्रम संख्या 73 ... दिनांक ...

मूल्य 500

स्टाम्प वेंडर

नरेन्द्र कुमार अग्रवाल

7660

1-10-11

दान गृहीता

Registration No. : 7559 Year : 2,011 Book No. :

0201 तीर्थंकर आदिनाथ कॉ0ऑफ एजू0 प्रबन्धक मनीष जैन

सुरेश चन्द्र जैन

लाजपत नगर शहर व जि0 मुरा0

व्यापार

50

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹ 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 OCT 2011

AU 863880

(23)

दक्षिण – चक रोड खाम 5.50 मीटर चौड़ी।

ह0 उपहारकर्ता

ह0 उपहार–ग्रहीता

साक्षी

साक्षी

उपहार विलेख हाजा आज दिनांक **01–10–2011** ई0 बमुकाम मुरादाबाद बइकरार पक्षगण, बकिताबत श्री दूल्हा खॉं कातिब, श्रीबालाजी कम्प्यूटर ग्राफिक्स कोर्ट प्रथम गेट, मुरादाबाद के लिये राजीव नन्दन ने टाइप किया।

आज दिनांक **01/10/2011** को

बही सं. **1** जिल्द सं. **7279**

पृष्ठ सं. **393** से **444** पर क्रमांक **7559**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुनील कुमार सक्सैना

उप निबन्धक (द्वितीय)

मुरादाबाद

1/10/2011

नक्शा आराजी रकबई 3240-00 वर्ग मी० वाका मौजा सूर्या बायन
ग्राम हाशमपुर गोपाल परगना व जि० मुरादाबाद. गाटा सं० 265
इकरारी: तीर्थंकर महावीर इन्स्टीट्यूट मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी
द्वारा अध्यक्ष श्री सुरेश चन्द जैन
बहक: तीर्थंकर आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रबन्धक
श्री मनीष जैन

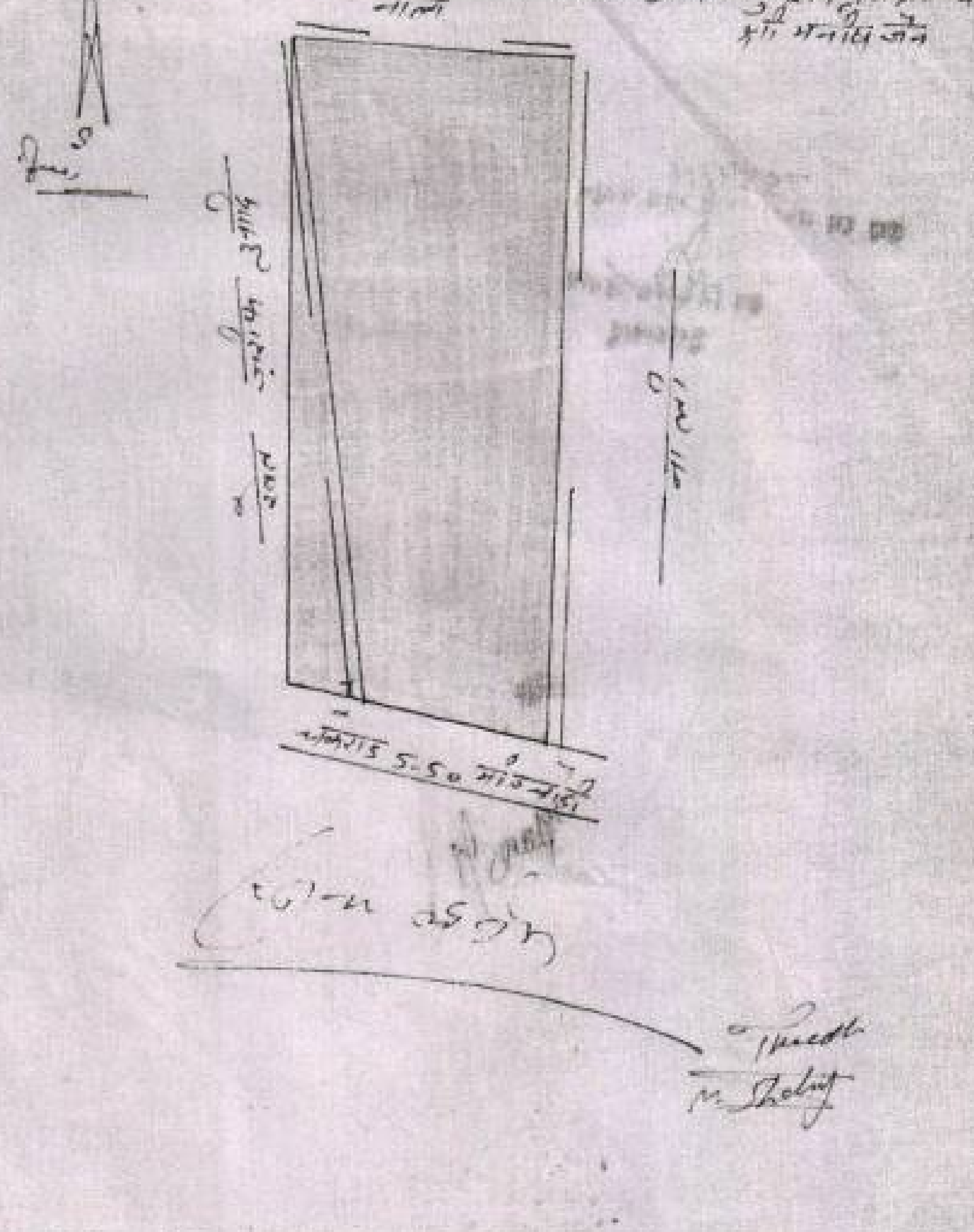

7559/11

[redacted]

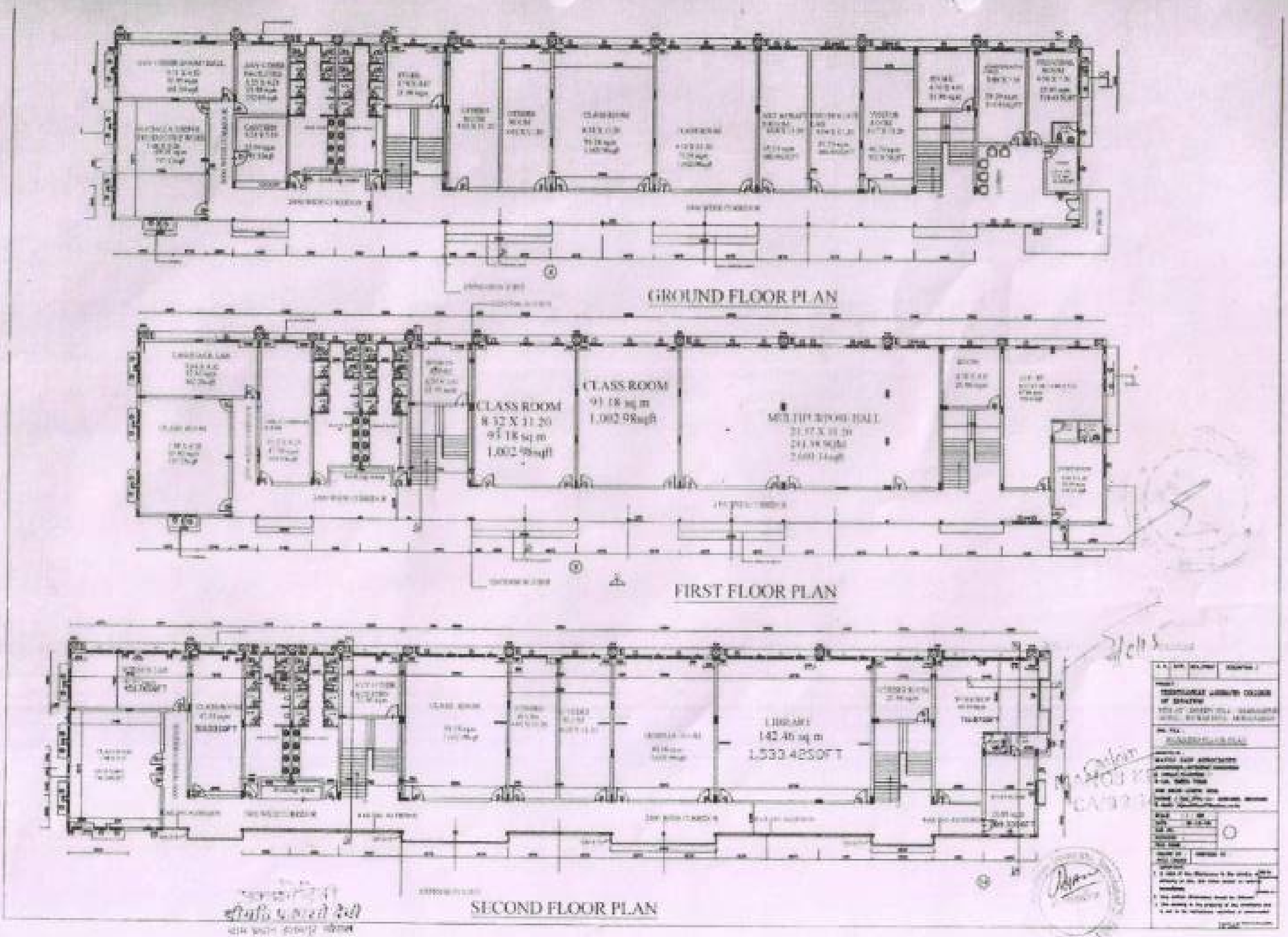
GROUND FLOOR PLAN
CLASS ROOM
8.32 X 11.20
93.18 sq.m
1,002.98sqft
CLASS ROOM
93.18 sq.m
1,002.98sqft
MULTIPURPOSE HALL
FIRST FLOOR PLAN
LIBRARY
142.46 sq.m
1,533.42SQFT
SECOND FLOOR PLAN

ग्राम क्रमांक : 15010114256 ग्राम का नाम : हाजीपुर गोपाल परगना मुरादाबाद तहसील : मुरादाबाद

जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1418-1423 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	अंतिम अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका हवाला उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
								1419फ अतिक्रमण [illegible] मुरादाबाद [illegible] 184/11/20.12.11 [illegible] खाता सं 270 [illegible] 265 [illegible] 1.4200 [illegible] 50 [illegible] [illegible] 01.10.11 [illegible] 20.12.11	
					कुल गाटे :	कुल क्षे : 1.4200	59.50		

हस्ताक्षर

05-Jun-15

पृष्ठ संख्या : 2 of 2

ग्राम क्रमांक : 15010114256 ग्राम का नाम : हाशमपुर गोथान परगना मुरादाबाद तहसील : मुरादाबाद

जनपद : मुरादाबाद फसली वर्ष : 1418-1423 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा का उसका संख्या उनकी ताराख तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
								1419 [illegible] मुरादाबाद [illegible] 30.12.11 [illegible] 270 [illegible] 265 [illegible] 1.4200 [illegible] 01.10.11 [illegible] 30.12.11	
				कुल गाटे : 1	कुल क्षे.	1.4200	59.50		

हस्ताक्षर

05-Jun-15

पृष्ठ संख्या : 2 of 2

सलग्नक – १३

BUILDING COMPLETION CERTIFICATE

I, **Manoj Jain, Prop. M/s Manoj Jain Associates, G-141, Sarita Vihar, New Delhi** hereby certify that the institution namely **Teerthanker Aadinath College of Education, Moradabad**, situated at **Plot No. 265 min., Vill. Hashampur Gopal, Post- Pakwara, Delhi Road, Moradabad (U.P.)** have personally inspected the land and building mentioned in the statement below and the same is based on the registered documents, data measurements and specifications found in the site.

1.	Name of the society/trust i.e. Management of the institution	**Teerthanker Mahaveer Institute of Management & Technology, Moradabad**
2.	The society/trust i.e. management of the institution is having the PAN/TAN No.	**PAN No. AAAAT6939Q** **TAN No. LKNT05112C** Copy enclosed: **Yes**
3.	Name of the institution	**Teerthanker Aadinath College of Education, Moradabad.**
4.	A certificate from the competent authority to the effect that the title of the land and building in the name of the society / institution.	**Copy of sale deed of land in the name of Teerthanker Aadinath College of Education, Moradabad.** Enclosed: **Yes**
5.	Location with khata/khasra/Street No./ Ward No., Name of the Place, Corporation/Municipality/Panchayat.	**Plot No. 265 min.** **Vill.- Hashampur Gopal, Post- Pakwara, SEZ Road, Distt. Moradabad (U.P.)**
6.	Date of Registration of Land	**25-10-2008**
7.	Registered in the office of Sub-Registrar/Tehsildar with address	**Sub-Registrar, Moradabad -2** **Court Compound, Civil Lines, Moradabad**
8.	The location of the land of the institution is in a single plot or different plots	**Single Plot**
9.	If the location of the land of the institution is not in a single plot the distance of different plots be mentioned.	**Not Applicable**
10.	Type of ownership of land	**Free Hold**
11.	Building plan approved by (address of Corporation /Municipality/ Panchayat/ any other Govt. Agency	**Gram Pradhan,** **Village-Hashampur Gopal, Post-Pakwara, Tehsil & Distt. –Moradabad.**

D. L. MISHRA MORADABAD

Cont…P/2

12.	Year of completion of construction of the building	**Additional construction completed in 2012.**
13.	Purpose for which the building is being used /proposed to be used	**For B. E l. Ed. & D. El. Ed. Programmes**
14.	Electricity connection No.	**SC No. 72523 L.P.**
	Telephone connection No.	9837040040
	Water connection No.	**Own water bore well**
15.	Total land area of the institution	3240 sqm.
	Total built up area of the institution	**4135 sqm.**
16.	Total land area earmarked for particular teacher training programme alongwith name of the course	**3240 sq meter for proposed - B. E l. Ed. & D. El. Ed. Programmes**
	Total built up area earmarked for particular teacher training programme alongwith name of the course	**4135 sq meter for proposed - B. E l. Ed. & D. El. Ed. Programmes**
17.	Details of construction of building (Roofing – pl. mention RCC / Asbestos / Tiled / any other pl. Specify) • (the column to be filled up in case the building of the institution is of more than one floor)	

	Area	Roofing
Ground Floor	1378.33 sqm.	**RCC**
First Floor	1378.33 sqm.	**RCC**
Second Floor	1378.33 sqm.	**RCC**
Total built up area	**4134.99 sqm.**	**RCC**

18.	Details of Land Use Change Certificate for Educational purposes from the [illegible] authorities /any other govt. [illegible] body Details thereof.	Date of issue of Certificate: **27/12/2012** Issued by : **SDM, Moradabad** Under section 143 ZALR Act. Provisions of the law under which the concerned issuing authority empowered for [illegible]

S.C. Mishra MORADABAD Regd. No. 4716 NOTARY PUBLIC

Jt. Registrar (Academics)

Cont…P/3

//3//

On verification of the above on site, I hereby certify that:-

i. The land & building of the institution is exclusively meant for running teacher training programme. The institution campus, building, furniture etc. is barrier free. There is no temporary structure, asbestos/tin sheet sheds available in the building. Safeguard against fire hazard has been provided in all parts of the building.

ii. The building of the institution is constructed keeping in view the provisions and bye-laws of the building construction as per the Bureau of Indian Standards and the same is structural safe and secure to run the teacher training course.

iii. The construction of the building is completed in all respects and the building is structurally sound to be used for Educational purposes and having the load bearing capacity as per the latest Indian Standards.

MANOJ KR. JAIN
Signature CA/92/14959

Name of the approved/ authorised Engineer/ Architect	Manoj Jain, Architect
Designation	Prop. M/s Manoj Jain Assoc.
Office Address	G-141, Sarita Vihar, New Delhi

Certified by the competent govt. authority/ local govt. body.

S. C. Mishra MORADABAD Regd. No. 6716 NOTARY PUBLIC

Photo Copy Attested

S.C. Mishra Notary Moradabad Regd. No. 6716

Signature with Seal

Name of the competent authority	
Designation	Gram Pradhan
Office Address	Village – Hashampur Gopal, Post- Pakwara, Tehsil & District- Moradabad

Countersigned by the authorized representative of the management of the institution.

Signature with Seal

Name of the authorized representative of the society/trust running the teacher training programme.	Dr. P. N. Arora
Designation	Joint Registrar
Name of the society/trust	Teerthanker Mahaveer University
Office Address	Delhi Road, Moradabad

प्रधान
ग्राम पं० हाशमपुर गोपाल

Certificate No. 159 Application No. 157/016

CERTIFICATE OF SEARCH

Sri [illegible] having application to me of Crtificate giving particulars of registered acts and encumbrance if any respect of under mentioned property [illegible] 265 [illegible] 1-420 [illegible]

I hereby certify that a search has been made in book 1 and in the indexes relating there to from the year 7-1-05 to the year 1-1-016 for acts and encumbrances affecting the said property and that on such search the following acts an encumbrances.

Sl. No.	Description of Property us giving in the document	Date of excecution	Nature & Value of document	Name of Parties		Reference to documents	
				excecuant	Claiment	Entry	Year
1	2	3	4	5	6	7	8
	[illegible]						

I also certify that save the aforsaid acts and encumbrances on other acts and ncumbrances affecting the said property have been found.

search made &

Certificate prepared by

Signature

(Designation)

Search Verified and

Certificate examined by

Signature

(Designation)

[illegible] 2016

Signature of sub-Registrar

Moradabad

Note (i) The act and encumbrances show in this certificate are these discovered with reference to the description of property furnished by the application if same properties have been descrived in registered documents in a manner different from the way in which the applicant has descrived than trans action evidenced by such documents will not be included in the certificate.

(ii) The request search has been made as certifully as possible by the office but the department will not on any account hold it self responsible for any in the resule of the search embodied in this certificate.

(iii) The certificate does not include documents if any which have been presented by been registered indexed upto date.

13300

फोटो स्टेट प्रतिलिपि आदेश दि 20-5-07

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद

वाद सं- 18/07

धारा - 143 ज वि अधि०

ग्राम - हसनपुर गोपाल परगना व तह० कांठ मुरादाबाद

तीर्थंकर महावीर इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलोजी

VS

सरकार

आदेश दि 25/2/07 / 20/5/07

आदेश दि 20-5-07 की (1) प्रपत्र पृष्ठ जो कि संलग्न है

नकल न० 13384

3-8-10

<u>संशोधन आदेश</u>

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद

वाद संख्या 18 /09 धारा 143ज0वि0अधि0

ग्राम हाशमपुर गोपाल तहसील व जिला मुरादाबाद

तीर्थंकर महवीर इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टेकनोलोजी देहली रोड मुरादाबाद द्वारा उपाध्यक्ष सूरज चन्द जैन पुत्र स्व0 फकीर चन्द जैन निवासी 69 आवास विकास कालोनी मुरादाबाद – प्रार्थी

बनाम

सरकार

<u>संशोधन आदेश</u>

इस वाद की कार्यवाही श्री सूरज चन्द जैन के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रारम्भ की गई। प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि खाता सं0 93 का गाटा सं0 265मि0 है जबकि सहवन टंकण की गलती के कारण गाटा संख्या 265मि0 के स्थान पर 975मि0 अंकित कर दिया गया। अन्त में उक्त त्रुटि को दुरस्त किये जाने के आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रार्थनापत्र के आधार पर मूल पत्रावली तलब की गई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उक्त वाद में आदेश दिनांक 25–2–09 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 93 गाटा सं0 265मि0 रकवा 1–420 मे से 0–324 है0 लगान 14–65 पैसे स्थित ग्राम हाशमपुर गोपाल तहसील व जिला मुरादाबाद को अकृषिक घोषित किया जाना लगान समाप्त किये जाने के आदेश पारित किये गये। आदेश टंकित होते समय गाटा सं0 265मि0 के स्थान पर गाटा सं0 975मि0 टंकित हो गया। जबकि वास्तव मे प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 93 गाटा संख्या 265मि0 फर्द खतौनी मे तहसीलदार मुरादाबाद की आख्या/संस्तुति में अंकित है। चूंकि उक्त त्रुटि टंकण की त्रुटि है जिसको संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दिनांक 25–2–09 को पारित प्रश्नगत आदेश में प्रश्नगत भूमि का गाटा संख्या 975मि0 के स्थान पर 265मि0 पढ़ा जाये। यह आदेश दिनांक 25–2–09 को पारित आदेश का भाग रहेगा। आदेश की दो प्रतियां तहसीलदार मुरादाबाद को राजस्व अभिलेखो मे उक्तानुसार अमलदरामद हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–20–5–09

(डी0के0चौधरी)
उपजिलाधिकारी,सदर,मुरादाबाद

1338
3.8.10
13200
3.8.10
3.8.10

सत्य प्रतिलिपि
मुरादाबाद

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद।

पत्रांक– म–09/सीएफओ–एमडीडी–11 दिनांक फरवरी/19 ,2016।

सेवा में,

चेयरमैन
तीर्थंकर महावीर इन्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी सोसायटी
दिल्ली रोड,मुरादाबाद।

विषय– तीर्थंकर आदिनाथ कालेज ऑफ एजुकेशन प्लॉट नं0–265, ग्राम–हाशमपुर गोपाल,पोस्ट–पाकबड़ा,मुरादाबाद को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अन्तिम (कम्पलीशन) अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:
1–मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन शिक्षा (6) अनुभाग का शासनादेश संख्या 1528/79–6–08 दिनांक 20–7–2012।
2–मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे योजित जनहित याचिका संख्या: 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य मे पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक: 13–4–2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों/कालिजों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध मे सचिव उ0प्र0 शासन, शिक्षा(7) अनुभाग का शासनादेश संख्या:1801/15–7–09–1(124)/2009 दिनांक 20–7–2009 के अनुसार निर्धारित प्रारुप में अनापत्ति सम्बन्धी आख्या।
3–आपका प्रार्थना पत्र दिनांक: 16.02.2016 के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक भवन को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक: 13–05–2011 के द्वारा प्रोविजनल अग्निसुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत निर्गत किया गया है वर्तमान में आवेदक द्वारा एजुकेशनल भवन का अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कम्पलीशन, अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासनादेशों के अनुपालन मे भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता–2005 मे उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिये प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया आख्या निम्नवत् है :-

1–भवन की संरचना :–प्रश्नगत भवन भूतल, प्रथमतल एवं द्वितीयतल पर निर्मित है।
भूतल का कवर्ड एरिया–1174.63 वर्गमीटर।
प्रथमतल का कवर्ड एरिया–1174.63 वर्गमीटर।
द्वितीयतल का कवर्ड एरिया–1174.63 वर्गमीटर।
भवन की ऊँचाई–10.8 मीटर।

(2) ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था :–
1–पहुंच मार्ग:–12.00 मीटर से अधिक चौड़ा मार्ग उपलब्ध है।
2–प्रवेश द्वार 5.00 मीटर।
3–सैट बैक–
प्रश्नगत एजुकेशनल भवन के चारों ओर 06.00 मीटर से अधिक खुला सैटबैक उपलब्ध है।

4–निकास मार्ग :– प्रश्नगत भवन मे ऊपरी तलों से निकास हेतु 1.50 मीटर से अधिक चौड़ाई के 02 स्टेयरकेस का प्राविधान कराया गया है जिनका ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

क्रमशः पेज 02 पर...........

अग्निशमन व्यवस्था :-

1–निर्मित भवन में अग्निशमन हेतु आई0एस0 2190 के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित किये गये है।
2–प्रश्नगत भवन मे मानक के अनुसार होजरील का प्राविधान कराया गया है।
2–प्रश्नगत भवन के टैरस पर टैरस टैंक 10000 लीटर क्षमता 450 एलपीएम क्षमता के सहित स्थापित है।

विशेष उल्लेखनीय है कि नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के पार्ट–2 के प्रस्तर 3.8 में विद्यमान भवनों हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप प्रश्नगत भवन मे अधिवासियों के आकस्मिक निकास व अग्निशमन सम्बन्धी व्यवस्थाओं को एन0बी0सी0 मानक में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।

अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया:–

1–वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य मे निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
2–स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुंच मार्ग, सैट बैक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नही की जायेगी।
3–विस्फोटक पदार्थो का भण्डारण विद्यालय परिसर मे कदापि नही करेंगे।
4–स्कूल मे भोजन/मिड–डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टिन शैड मे ही किया जायेगा।
5–वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा मे बनाये रखना होगा तथा प्रति वर्ष उपकरणों का निर्धारित शुल्क राजकीय कोषागार मे जमा कराकर उनका निरीक्षण/अनुरक्षण कराकर उनकी कार्यशीलता का प्रयोज्यता प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा अन्यथा की स्थिति मे निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन तीर्थंकर आदिनाथ कालेज ऑफ एजुकेशन ग्राम–हाशमपुर गोपाल, पोस्ट–पाकबड़ा मुरादाबाद को अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी कम्पलीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्न–मानचित्र एक सैट

(वी0के0 सिंह) 19/2/16
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद।

प्रतिलिपिः
1–संयुक्त निदेशक फायर सर्विस, उ0प्र0,लखनऊ को कृपया सूचनार्थ।
2–अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आ0 का0 हेतु।

स्थायी लेखा संख्या /PERMANENT ACCOUNT NUMBER

AAAAT6939Q

नाम /NAME

TEERTHANKER MAHAVEER INSTITUTE OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY

निगमन/बनने की तिथि /DATE OF INCORPORATION/FORMATION

11-04-2001

आयकर आयुक्त, लखनऊ

COMMISSIONER OF INCOME-TAX, LUCKNOW

Photo Copy Attested

S.C. Mishra Notary Moradabad
Regd.No. 0216